6006/ (782)

राजस्थान सरकार
राजस्व विभाग जयपुर

विज्ञप्ति

संख्या 1(6)(17) राज 8/73. दिनांक 21.6.73

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूचि में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सोमा को जांच और उसका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम (1953 को अधिनियम संख्या 13) को धारा 29 को उप धारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 17882 एफ 15 (2) र0के0/57 दिनांक 21-11-57 के अनुसरण में किया जा चुका है ।

अतः उपर्युक्त वन अधिनियम को धारा 29 को उप धारा (1) के व्दारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतव्दारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुबन्ध पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात रक्षित वन कहलाया जावेगा ।

राज्य पाल की आज्ञा से
उप शासन सचिव
राजस्व (ध) विभाग
शासन सचिवालय
जयपुर ।

अनुसूचि

वन खण्ड कछालिया रेंज बरूधन

जिला	तहसील	वन खण्ड	ग्राम	क्षेत्रफल वन खण्ड एकड़ों में	क्षेत्रफल बीघों में		
1-	2-	3-	4-	5-	6-		
बून्दी	बून्दी	कछालिया	डोरा	3713-56	खसरा नम्बर	बीघो	बिस्वा
					1	149	08
					2	144	00
					3	144	00
					4	89	10
					5	69	04
					6	1	10
					7	45	13
					8	18	07

(सोनल जौरिहार)
उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)

[illegible]

और चूंकि इस [illegible] पर अधिकारों के बारे में [illegible] प्रस्तुत [illegible] की [illegible] स्वीकृत हो चुकी है और उनका प्रस्तुत अधिकारों [illegible] को निबटा दी गई है।

और चूंकि उपर्युक्त अधिनियम [illegible] पर पारित आदेशों के विरुद्ध अपील [illegible] की अवधि व्यतीत हो चुकी है, इस अवधि में प्रस्तुत की गई अपीलें निबटा दी गई हैं ;

और चूंकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित किये जाने के लिये [illegible] भूमियां, अधिकार [illegible] कानून के अधीन सरकार में निहित हो गई हैं ;

अतः अब [illegible] एक्ट की धारा २० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार इस भूमि को [illegible] प्रभाव रखते हुये आरक्षित वन घोषित करती है जो इस प्रावधान के अधीन है कि नीचे लिखे गये [illegible] कोई अधिकार [illegible] उक्त अधिकारों की संक्षिप्त सूची (१) में उल्लिखित सीमा तक रखते हुये और कोई रियायतें नहीं पावेंगे। [illegible] उल्लिखित सीमा तक ऐसे मौसमों में उक्त वनों में ऐसे भागों में तथा ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा [illegible] पर निर्धारित किये गये रियायतों का उपयोग करेंगे।

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	रेन्ज या वन-खण्ड व विस्तार	मौजा	अनुमानित क्षेत्रफल	खसरा नं०	रकबा
१	२	३	४	५	६	७
बून्दी	बून्दी	[illegible] (१) विस्तार [illegible]	[illegible]	४८६.१८	१	[illegible]
					२	[illegible]
					३	[illegible]
					४	[illegible]
					५	[illegible]
					६	[illegible]
					७	[illegible]
					८	[illegible]
					९	[illegible]
					१०	[illegible]
					११	[illegible]
					१२	[illegible]
					१३	[illegible]
					१४	[illegible]
					१५	[illegible]
					१७	[illegible]
					१८/१	[illegible]
					१९	[illegible]
					६०	[illegible]
					६१	[illegible]
					६२	[illegible]
					[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]

(सोनल जौरिहार)
उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)

(४)
(९)

राजस्थान सरकार
राजस्व विभाग
विज्ञप्ति

क्रम संख्या एफ ३४ (१८) आर २ आई ५४ दि. २८/१/५५

सर्व साधारण की जानकारी के लिये घोषणा की जाती है कि धारा २० राजस्थान बन अधिनियम संख्या १३ सन १९५३ के अनुसार निम्न लिखित भूमि इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दिवस से रखाया हुआ जंगल (Reserved Forest) माना गया है.

ब्लोक :- लाम्बाखोह रेंज बरुंधन डिवीजन फोरेस्ट आफिस बूंदी

उत्तर :- ग्राम रेसुन्दा ठिकाना बिजोलिया (इकाई मेवाड़) कुन्दपुरा खालसा, व बड़फू जागीर -
पूर्व :- ग्राम रतनपुरा, व लाम्बा खोह खालसा
प :- ब्लोक भूचर रेंज भेंसरोड़ गढ़ (इकाई मेवाड़)
म :- ग्राम गुढ़ा जागीर व रेसुन्दा ठिकाना बिजोलिया (इकाई मेवाड़)

इस ब्लाक का कुल क्षेत्र फल ६४४६।। व एकड़ २५६१ एकड़ है.

इस बन में निम्नांकित रियायतें उन ग्रामों के अन्तर्गत जो गवर्नमेंट समय २ पर प्रकाशित करे लागू रहेगी.

(१) ग्राम लाम्बा खोह, पीपलदा, गरड़ा शम्भुरा, रतनपुरा, बड़फू, कुन्दपुरा, गोरधनपुरा, गोपालपुरा लक्ष्मीपुरा, छोटाकिया खेड़ा व नरोली -

(क) अपनी निजी मवेशी अलावा भेड़ बकरी व ऊंट के चरती रहेंगी

(ख) अपने निजी खर्च के लिए जलाऊ सूखी (लकड़ी) ईंधन व घास शिर बोझ से भी ले जाते रहेंगे। -

(ग) मवेशी मरने पर खाल मालिक ले जाता रहेगा -

(सोनल जौरिहार)
उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)

(२) इस ब्लॉक में तकरीबन ४५ महुवा के पेड़ हैं जिनपर कब्जा आसामियान लाम्बाखोह का रहेगा.

(३) इस बन में निम्नांकित रास्तों पर आम जनता व बोझ ढोने वाले पशु आते जाते रहेंगे-

(१) ग्राम लाम्बा खोह से ग्राम गुढा (ईकाई मेवाड़) जाने वाला -

(२) ग्राम लाम्बा खोह से ग्राम रसुन्दा जाने वाला.

(३) ग्राम रतनपुरा से ग्राम गोपालपुरा जाने वाला -

हस्ता०

A. F. S. O

Bundi

14.7.54

शुद्ध प्रतिलिपि

[illegible] 15.1.76

सहायक वन संरक्षक अधिकारी,
कोटा (राजस्थान)

(सोनल जौरिहार)
उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)

मुकाबला किया

पढा सुना

रूपचन्द
15.1.76

[illegible]

(2000)

(982)

राजस्थान सरकार
राजस्व विभाग जयपुर

विज्ञप्ति

संख्या 1(6)(17) राज-8/73. दिनांक 21.6.73

चूँकि इसके साथ संलग्न अनुसूचि में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उसका अभिलेखान राजस्थान वन अधिनियम (1953 को अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 17882 एफ 15 (2) र0के0/57 दिनांक 21-11-57 के अनुसरण में किया जा चुका है ।

अतः उपर्युक्त वन अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्दारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुबन्ध पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्य पश्चात रक्षित वन कहलाया जावेगा ।

राज्य पाल की आज्ञा से
उप शासन सचिव
राजस्व सचिव
राजस्व (ग) विभाग
शासन सचिवालय
जयपुर ।

अनुसूचि

वन खण्ड कछालिया रेंज बरून्धन

जिला	तहसील	वन खण्ड	ग्राम	क्षेत्रफल वन खण्ड एकड़ों में	क्षेत्रफल बीघों में		
1-	2-	3-	4-	5-	6-		
					खसरा नम्बर	बीघो	बिस्वो
बून्दी	बून्दी	कछालिया	डोरा	3713-56			
					1	149	08
					2	144	00
					3	144	00
					4	89	10
					5	69	04
					6	1	10
					7	45	13
					8	18	07

(सोनल जौरिहार)
उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)

(400)

(72)

राजस्थान सरकार
राजस्व विभाग जयपुर

विज्ञप्ति

संख्या 1(6)(17) राज 8/73. दिनांक 21.6.73

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूचि में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जाँच और उसका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम (1953 को अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 17882 एफ 15 (2) र0के0/57 दिनांक 21-11-57 के अनुसरण में किया जा चुका है ।

अतः उपर्युक्त वन अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुबन्ध पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्य पश्चात रक्षित वन कहलाया जावेगा ।

राज्य पाल की आज्ञा से
उप शासन सचिव
राजस्व सचिव
राजस्व (ग) विभाग
शासन सचिवालय
जयपुर।

अनुसूचि

वन खण्ड कछालिया रैंज बरूधन

जिला	तहसील	वन खण्ड	ग्राम	क्षेत्रफल वन खण्ड एकड़ों में	क्षेत्रफल बीघों में		
1-	2-	3-	4-	5-	6-		
					खसरा नम्बर	बीघो	बिस्वा
बून्दी	बून्दी	कछालिया	डोरा	3713-56			
					1	149	08
					2	144	00
					3	144	00
					4	89	10
					5	69	04
					6	1	10
					7	45	13
					8	18	07

(सोनल जौरिहार)
उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)

२४२

विज्ञप्ती

२४०

संख्या एफ० ७(१७)रा.व.अ.८९ दिनांक २५-३-८९

.... चूंकि विज्ञप्ती संख्या २४५७ फौरेस्ट १९५० दिनांक १४-७-५० द्वारा नीचे लिखि हुई भूमि को राजस्थान वन अधिनियम :१९५३ का अधिनियम संख्या १३: के अधीन आरक्षित वन के रूप मे गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था ।

और चूंकि इन भूमियों पर अधिकारों के बारे मे अधियाचनायें प्रस्तुत करने की अवधी जो निर्धारित की गई, व्यतीत हो चुकी है और समस्त प्रस्तुत अधियाचनाऐं, यदि हों निपटा दी गई हैं ।

और चूंकि उपर्युक्त अधियाचनाओं पर पारित आदेशों के विरूद्ध अपील पेश करने की अवधी व्यतीत हो चुकी है और उस अवधी मे प्रस्तुत की गई अपीलें निपटा दी गई हैं ।

और चूंकि प्रस्तावित वन मे सम्मलित किये जाने के लिये अवाप्त की गई समस्त भूमियां यदि हों, अनिवार्य अवाप्ती कानून के अधीन सरकार मे निहित हो गई है ;

अत: अब उक्त ऐक्ट की धारा २० द्वारा प्रदत्त शक्तीयों के प्रयोग मे राज्य सरकार उक्त भूमि को दिनांक १-८-८९ से प्रभाव रखते हुवे आरक्षित वन घोषित करती है और इस प्रावधान के अधीन है कि निचे लिखे गये गांव कोई अधिकार नहीं रखेंगे और रियायतें संक्षिप्त सूचि :२: मे उल्लिखित सीमा तक, ऐसे मौसमों मे उक्त वनों के ऐसे भागों मे तथा ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा समय २ पर निर्धारित किये जावें, रियायतों का उपभोग करेंगे ।

राज्य पाल की आज्ञा से

शासन सचिव

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	पट्टी	मौजा	अनुमानित क्षेत्रफल	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
बूंदी	तालेडा	बरूधन	धनेश्वर	४२००.५० एकड	सीमा विवरण का परिशिष्ट :अ: संलग्न है

(सोनल जौरिहार)
उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)

अधिसूचना

दिनांक २१-११-५८

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट भूमि वन भूमि है जिसमें राज्य सरकार के अधिकार है तथा ऐसी भूमि की जांच और उसका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम (१९५३) का राजस्थान अधिनियम संख्या (१३) की धारा (२९) की उपधारा (३) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (१) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय ५ के अनुबन्ध उक्त भूमि और वन भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाएगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

शासन सचिव

अनुसूची

जिला	तहसील	वन खण्ड का नाम	ग्राम	क्षेत्रफल	खसरा नं.	क्षेत्रफल
बूंदी	बूंदी	नरवल माताजी ब्लॉक	[illegible]	[illegible]	१०१०	[illegible]
					[illegible]	[illegible]

[illegible] राजपत्र [illegible]

[illegible]

(सोनल जौरिहार)
उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)